लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1441
उत्तर देने की तारीखः 20.09.2020

अनुसूचित जातियों हेतु उद्यम पूंजी निधि

1441. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एसो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनुसूचित जाति (एससी) के कई उद्यमियों ने कम जागरूकता के कारण अनुसूचित जातियों के लिए उद्यमपूंजी निधि का लाभ नहीं उठाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ख) उद्यमपूंजी निधि के उपयोग में आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सन्दर्भ में, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) के लिए उद्यमपूंजी निधि की योजना के तहत कितनी परियोजनाओं में सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) इस पहल में शामिल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस पहल के तहत सृजित राजस्व और/या लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): स्कीम के बारे में जागरुकता सृजित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर बैठकें आयोजित की गई हैं, (ii) संघों/संस्थानों/औद्योगिक संघों द्वारा सम्मेलन/प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं, (iii) एक्सपो, कम्पोजिट कैम्पों, क्रेडिट कैम्पों, मेलों आदि में भाग लेना, (iv) समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, (v) जागरुकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करना, (vi) विशेष वेबसाइट (www.vcfsc.in) (vii) राज्य एससी विकास वित्त निगमों, औद्योगिक संघों, देश भर में अवस्थित आईआईएम और आईआईटीज के माध्यम से स्कीम को बढ़ावा देना।

(ख): चुनौतियां इस प्रकार हैः (i) क्लीयरिंस और अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब होना, (ii) बैंकों से अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करना, (iii) कार्यान्वयन में जोखिम, (iv) अधिक लागत की भरपाई करने की क्षमता, (v) मार्गदर्शन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) जागरुकता का सृजन, (ii) सूचना का प्रचार-प्रसार, और समर्थन देना और सहायता प्रदान करना (हैंड-होल्डिंग)।

(ग): सूचना अनुबंध में दी गई है।

(घ): अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी) का प्रबंधन आईएफसीआई उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड (16वां तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19, फोन-011-41732507/81/90/70/67/18/76) द्वारा किया जाता है। निधियों के निवेश प्रबंधक के रूप में प्रबंध तथा कार्य करने के लिए, आईएफसीआई को निधि कार्पस पर 1.50 प्रतिशत की दर से शुल्क दिया जाता है।

******

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 20.09.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1441 के उत्तर में विवरण।

(एससी के लिए उद्यम पूंजी निधि)

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) के लिए उद्यम पूंजी निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:-

वित्तीय वर्ष	कम्पनियों की संख्या जिनको निधियां संस्वीकृत की गईं	कुल संस्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए में)
2018-19	26	92.15
2019-20	20	88.59
2020-21	12	46.84